छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक 132 /2017 दिनांक 22 / 09 /2017

विषयः- **छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के विभिन्न कॉलोनियों में भवन/भूखण्ड की स्थिति अनुसार बेटर लोकेशन चार्ज लेने संबंधी।**

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के विभिन्न कॉलोनियों में भवन/भूखण्ड की स्थिति अनुसार बेटर लोकेशन लेने का प्रावधान है। अतिरिक्त गृह निर्माण आयुक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र कमांक 725/भोपाल/दिनांक 24.01.1980 के अनुसार मुख्य सड़क या खूले क्षेत्र के सामने स्थित भवन/भूखण्ड से भूखण्ड के मूल्य का 5 प्रतिशत राशि बेटर लोकेशन चार्ज के रुप में ली जाती है। वर्तमान में अनेक हितग्राही मण्डल के संपदा प्रबंधन अधिकारियों तथा संभाग कार्यालयों द्वारा मुख्य सड़क के चौड़ाई के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। उपरोक्त परिपत्र में सड़क की चौड़ाई नही दी गई है। अतः छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 द्वारा निर्णय लिया गया है कि बेटर लोकेशन श्रेणी में आने वाले भवन/भूखण्ड की निम्नानुसार स्थिति होना आवश्यक है।

(1) भवन/भूखण्ड से लगा हुआ अथवा सामने मुख्य मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी होने पर।

(2) भवन/भूखण्ड से लगा हुआ अथवा सामने खुला क्षेत्र या उद्यान होने पर।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 54वां मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.08.2017 के एजेण्डा कमांक 33 के पारित संकल्प कमांक 1583/33/54/08/2017 द्वारा संचालक मण्डल के प्रस्ताव पर दीर्घ-विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल मुख्यालय के तकनीकी समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार भवन/भूखण्ड से लगा हुआ अथवा सामने मुख्य मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या इससे अधिक चौड़ी होने एवं/अथवा भवन/भूखण्ड से लगा हुआ अथवा सामने खुला क्षेत्र या उद्यान होने पर भवन/भूखण्डों को बेटर लोकेशन चार्ज भूखण्ड के मूल्य का 05 प्रतिशत आबंटन के समय अतिरिक्त रुप से भारित करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए, आगामी आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त, को अधिकृत किया जाता है।

(आदेशानुसार)

20.09.17

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

पृ.क्र. २५२१ /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-397/17 नया रायपुर, दिनांक 22/09 /2017

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, कमांक 01(J)/ 02(V)/ 03(P) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/ महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

20.09.17

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर